न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – अतुल प्रकाश, आई०ए०एस० (प्रशिक्षु)

प्रकरण संख्या : 98 / 16

आत्माराम नागर आत्मज देबीलाल उर्फ देव्या, जाति धाकड, निवासी ग्राम किशनपुरा कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

–(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादी)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

दिनांक : 30.12.2019

उपस्थिति : वादी अभिभाषक श्री घनश्याम नागर

निर्णय

1. यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है।
2. वादी द्वारा अपना वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि :–
   - ग्राम किशनपुरा कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में हाल खसरा नम्बर 321 रकबा 0.26 हैक्टर आराजी स्थित है जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी के नाम दर्ज है।
   - उक्त आराजी पर वादी का गत 40–42 वर्षो से निरन्तर अबाध रूप से प्रतिवादी की जानकारी में कब्जा चला आ रहा है। उक्त आराजी पूर्व में शिवकरण आत्मज कजोडीलाल, जाति माली, निवासी ग्राम जाखेडा, तहसील लाडपुरा को वर्ष 1990 में बिना कब्जे व आधार के आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन कर दिया जिसकी जानकारी वादी को होने पर वादी द्वारा अपने भाई मोहनलाल के जरिये उक्त आवंटन आदेश के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा में अपील संख्या 425 / 89 प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 28.04.1992 को अपील स्वीकार कर आदेश प्रदान किया गया कि आवंटन अधिकारी यह जांच करे कि आवंटी शिवकरण दूसरे गांव का निवासी हो और उसका व्यवसाय कृषि नहीं हो तो आवंटन निरस्त किया जावे अथवा नहीं। न्यायानय के आदेशानुसार आवंटन अधिकारी द्वारा नियमानुसार जांच कर आवंटी शिवकरण का आवंटन निरस्त कर खाता सिवायचक आराजी दर्ज की।
   - आवंटन निरस्त करने के बाद वादी द्वारा प्रतिवादी को वादी के नाम उक्त आराजी का आवंटन करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी द्वारा सम्पूर्ण जांच कर विधिक रूप से वादी के भाई के नाम दिनांक 02.04.1993 को नोटिस जारी कर आवंटन समिति के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र देने का आदेश प्रदान किया जिस पर वादी द्वारा आवंटन समिति के समक्ष नियमानुसार प्रार्थन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर आवंटन कमेटी व प्रतिवादी द्वारा सम्पूर्ण जांच कर वादी को सूचित किये जाने को कहा।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी कोटा (राज.)

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

Scanned by CamScanner

- वादी एवं वादी के भाई मोहनलाल के बीच आपसी सहमति से भाई–बंटवारा हो गया। उक्त भाई–बंटवारे में उक्त आराजी वादी को प्राप्त हुई है। वादी बाहर निवास करने से राजस्व रिकार्ड में व न्यायालय आदि में अपने भाई मोहनलाल ने कार्यवाहियां की है किन्तु कब्जा हर समय वादी का ही रहा है।
- वादी ने हर समय प्रतिवादी को प्रार्थन पत्र देकर उक्त आराजी को स्वयं के नाम आवंटन/नियमन कर खातेदारी प्रदान करने का निवेदन किया किन्तु प्रतिवादी द्वारा वादी के आवंदनों पर कोई ध्यान नहीं दिया और हर समय प्रतिवादी समय निकालता रहा।
- वर्णित आराजी पर वादी का गत 40–42 वर्षो से निरन्तर अबाध रूप से प्रतिवादी की जानकारी में कब्जा काश्त होने से वादी को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है तथा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 63 के अन्तर्गत प्रतिवादी के खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये है। वादी द्वारा बार बार प्रतिवादी से वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी प्रदान कर नाम दर्ज करने हेतु निवेदन करने के बावजूद भी वादी को खातेदार घोषित नहीं करने से वादी के लिये यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।
- वाद कारण अन्तिम बार वादी द्वारा प्रतिवादी को दिनांक 28.03.2016 को नोटिस देने, दिनांक 13.04.2019 को जन सुनवाई में प्रार्थन पत्र देने व शिविर में प्रार्थना पत्र देने के उपरान्त भी वादी को खातेदार घोषित नहीं करने पर उत्पन्न हुआ। वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।
- अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार फरमाया जाकर वादी को ग्राम किशनपुरा कैथून स्थित हाल खसरा नम्बर 321 रकबा 0.26 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित कर वादी का नाम प्रतिवादी के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त में मदालखत व मजामहत न तो स्वयं करे और न अपने किसी प्रतिनिधि से ही करवाये।
- वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में वादपत्र के साथ निम्नानुसार दस्तावेजात पेश किये गये –

(a) प्रदर्श–1 80 सीपीसी नोटिस की प्रति।
(b) प्रदर्श–2 जिला स्तरीय सम्पर्क समाधान केन्द्र, कोटा में पेश परिवाद की पावती रसीद क्रमांक 3925 दिनांक 13.04.2016
(c) प्रदर्श–3 80 सीपीसी नोटिस की प्राप्ति एडी रसीद
(d) प्रदर्श–4 80 सीपीसी नोटिस के पंजीकृत डाक की रसीद
(e) प्रदर्श–5 सूचना का अधिकार के प्रार्थना पत्र के पोस्टल आर्डर की रसीद
(f) प्रदर्श–6 कब्जे की आराजी के आवंटन हेतु जिला कलक्टर को प्रस्तुत प्रा. पत्र
(g) प्रदर्श–7 सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत का जवाब
(h) प्रदर्श–8 सूचना का अधिकार में पेश प्रार्थना पत्र की प्रति
(i) प्रदर्श–9 सूचना का अधिकार में पेश प्रार्थना पत्र का जवाब
(j) प्रदर्श–10 मोहनलाल के आवंटन निरस्त की सूचना के पत्र की फोटोप्रति
(k) प्रदर्श–11 से 16 वादी को जारी नोटिस धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की फोटो प्रतियां

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

Scanned by CamScanner

(l) प्रदर्श–17 खसरा गिरदावरी पी–13एन संवत 2071–74

(m) प्रदर्श–18 राजस्व अपील अधिकारी की आदेशिका दिनांक 28.04.1992

2. न्यायालय में पेश वाद में प्रतिवादी सरकार की (जर्ये तहसीलदार) तलवी हेतु सम्मन जारी किये गये जिसमें प्रतिवादी की तलवी के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय पत्रांक रीडर/एसीएम/2017/827 दिनांक 07.04.2017 से जवाब दावा/साक्ष्य/रिपोर्ट हेतु लिखे जाने पर भी न तो कोई उपस्थित हुआ और न ही कोई जवाब आदि पेश किया गया, फलस्वरूप आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार सम्यक तामील की घोषणा होने पर आदेश 9 नियम 6[1](क) सीपीसी के अनुसार प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। फलस्वरूप, प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब दावा पेश नहीं होने के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई।

3. वादी की ओर से गवाह आत्माराम नागर पुत्र देवीलाल उर्फ देव्या तथा जोधराज आत्मज हुकमचन्द के साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये, जो शामिल पत्रावली किये गये। तदुपरान्त प्रकरण पर वादी अभिभाषक की बहस अन्तिम सुनी गई। वादी वकील द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी के खाते की आराजी के निकट स्थित विवादित आराजी खसरा नम्बर 321 पर वादी का गत 40–42 वर्षो के कब्जा है, जिसके आधार पर वादी द्वारा उक्त आराजी के आवंटन हेतु कार्यवाही की गई। इसमें नियमन कार्यवाही जैरकार नहीं होने के कारण वादी के परिवाद को निस्तारित कर दिया गया। अतः वादी के अनवरत कब्जे के आधार पर वादी को विवादित आराजी की खातेदारी दी जाकर उसका राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कराये जाने तथा प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

4. हमने वादी अभिभाषक की, प्रकरण पर की गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वादी द्वारा विवादित आराजी पर अपने 40–42 वर्षो के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहे गये है। इस हेतु वादी की ओर से कब्जे के आधार पर आराजी के आवंटन हेतु की गई कार्यवाही का भी उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं दिये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालयों के निम्नांकित गत निर्णयों का भी दृष्टान्त लिया जाना समीचीन होगा –

1	केवल लम्बे कब्जे के आधार पर वाद नहीं लाया जा सकता है। (परमसुख बनाम स्टेट 1978, आर.आर.डी. 482)
2	किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। (रामसिंह बनाम पतिराम, 1996 आर.आर.डी. 389 पेज 391)
3	केवल मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। (राजस्थान राज्य बनाम गिरधारीलाल, 1988 आर.आर.डी. 78)
4	धारा 88 के अन्तर्गत केवल मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। (राजस्थान राज्य बनाम धरमा 1988 आर.आर.डी. 364)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोटा (राज.)

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

Scanned by CamScanner

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर वादीगण को मात्र लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं किये जा सकते है। वादी द्वारा धारा 88, 188 के लिये वाद पेश किया गया है। धारा 188 आरटीए के अन्तर्गत केवल खातेदार ही दावा पेश करने हेतु अधिकृत है। प्रस्तुत वाद में वादी विवादित आराजी पर अपने कब्जे को वैध सिद्ध करने में असमर्थ रहा है। अतः कृषि आराजी पर लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित होने तथा वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

5. यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

30/12/2019

(अतुल प्रकाश)
आर.ए.एस. (सलिंग)
सहायक कलक्टर, कोटा

सहायक कलेक्टर
(मुख्यालय) कोटा

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी– अतुल प्रकाश, I.A.S. (P)

बउनवान :–

आत्माराम नागर आत्मज देबीलाल उर्फ देव्या, जाति धाकड, निवासी ग्राम किशनपुरा कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

–(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादी)

दावा बाबत : 88, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 98 / 16
निर्णय दिनांक : 30-12-2019

न्यायालय हाजा में वादीगण की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री घनश्याम नागर की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 30–12–2018 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री अतुल प्रकाश, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादीगण को मात्र लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं किये जा सकते है। वादी द्वारा धारा 88, 188 के लिये वाद पेश किया गया है। धारा 188 आरटीए के अन्तर्गत केवल खातेदार ही दावा पेश करने हेतु अधिकृत है। प्रस्तुत वाद में वादी, विवादित आराजी पर अपने कब्जे को वैध सिद्ध करने में असमर्थ रहा है। अतः कृषि आराजी पर लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित होने तथा वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।
– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह अन्तिम डिक्री आज तारीख 30.12.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Atul Prakash 30/12/19
(अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर, कोटा
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		

Scanned by CamScanner